

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व शानगढ

भू अभिलेख निरीक्षक शानगढ

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

वकीलपार करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शानगढ पटवार हल्का शानगढ तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 355 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	शानगढ	355	हरिश पुत्र हरिशाल	हरिश उर्फ हरक-पन्ड पुत्र हरिशाल

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 18/5/2022

क्रमांक/न्यायालय /2022 /08

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री हरिश उर्फ हरक-पन्ड पुत्र हरिशाल

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2022/457

हरक-पन्ड